सात शातिरों पर गैंगस्टर की कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

श्रावस्ती। इकौना व मल्हीपुर थाना क्षेत्र में अपराध का पर्याय बने सात शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यह अपराधी अपने निजी स्वार्थ में मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य कर रहे थे। इनमें इकौना पुलिस ने दो व मल्हीपुर पुलिस की ओर पांच लोगों पर कार्रवाई की गई है।

इकौना पुलिस ने गांजा की तस्करी के कारोबार में जुटे बहराइच के थाना पयागपुर अंतर्गत चौसार निवासी पंकज सिंह व गोंडा के कोतवाली नगर अंतर्गत नई बस्ती निवासी रज्जब अली पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। यह दोनों लोग गांजा तस्करी करते थे। वहीं मल्हीपुर पुलिस न फत्तेपुर बनगई के मजरा राजापुर निवासी सुभाष साहू, बांसगढ़ी निवासी मेराज पर नेपाली शराब की तस्करी के कारण गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। जबकि बहराइच के थाना पयागपुर अंतर्गत बरगदही निवासी विजय कुमार, सूरज व सुखदेव के गांजा तस्करी में संलिप्त रहने के कारण गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

1150 ग्राम गांजे के साथ एक धरा

श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने गुरुवार रात गस्त के दौरान सधई पुरवा रोड के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिसके पास से पुलिस ने 1150 ग्राम गांजा बरामद किया। गिरफ्तार युवक की पहचान नेपाल राष्ट्र के बांके जिला अंतर्गत थाना भगवानपुर के बनिया गांव महतिनियश निवासी अशरफ खां के रूप में हुई। जिसके विरुद्ध सिरसिया पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर संबंधित न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया है। (संवाद)

चोर को पकड़ पुलिस को सौंपा

श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के भरथा बेलभरिया निवासी सुंदा उर्फ सुरेंद्र गुरुवार रात नगर के ही मोहल्ला टंड़वा बनकटवा निवासी सीताराम के सिरहाने पर रखा मोबाइल व 520 रुपये चुरा लिया था। इस दौरान सीताराम की चीख पुकार पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। जिसे बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए चोर के कब्जे से चोरी का 520 रुपये भी बरामद किया। पकड़े गए युवक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। (संवाद)